

27/04/17/112/CC-5

प्रेषक,
राहुल भटनागर
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

25/17

सेवा में,
1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 08 मई, 2017

विषय:- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-11। हैण्डपम्पों की रिबोरिंग एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

ग्राम पंचायतों को इण्डिया मार्क-11। हैण्डपम्पों एवं पाइप पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास अनुभाग-5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29 जून, 2011 के बिन्दु-VIII में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-11। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं (उत्तर प्रदेश जल निगम/यू०पी० स्टेट एग्री लि०) द्वारा उनको आवंटित विकास खण्डों में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की धनराशि से कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त ग्राम्य विकास अनुभाग-5 के उपर्युक्त शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 के बिन्दु-VIII को संशोधित करते हुए नुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-11। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जायेगा। सम्बन्धित ग्राम पंचायतों हैण्डपम्पों के रिबोरिंग का कार्य स्वयं करा सकती हैं अथवा सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं (उत्तर प्रदेश जल निगम/ यू०पी० स्टेट एग्री लि०) के माध्यम से करा सकती हैं। दोनों ही विकल्पों के अनुसार रिबोर कराये गये हैण्डपम्पों में गुणवत्ता अपश्यमेव सुनिश्चित की जायगी। उक्त शासनादेश दिनांक 29 जून, 2011 के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

महोदय,
R. K. Singh
(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव।

500
उप निर्देशक (पं०) (ओ०एफ०)

संख्या- 434 (1)/अडतीस-5-2017, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० ग्राम्य विकास / मा० पंचायती राज मंत्री, उ०प्र० को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन को उपर्युक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग के स्तर पर अपेक्षित अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम/ प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री लि०, लखनऊ।
7. समस्त जिला विकास अधिकारी / समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

निदेशक
8/5/17

आज्ञा से,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।